न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार** I (RAS)

राजस्व वाद–पत्र संख्या :– **103/2023** GCMS 2023/234

प्रार्थी :–

1. बन्नाराम पुत्र नाथूराम जाति कुमावत निवासी लखजी का बास सिंधपुरा हिराणी तहसील कुचामन सिटी
2. हनुमानराम पुत्र नाथूराम जाति कुमावत निवासी लखजी बास सिंधपुरा हिराणी तहसील कुचामन सिटी

अप्रार्थी :–

1. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामन सिटी
2. हल्का पटवारी हल्का हिराणी तहसील कुचामन सिटी

प्रार्थना–पत्र बाबत राजस्व अभिलेख में नक्शा दुरूस्ती हेतु अन्तर्गत धारा 131 व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री श्रीराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
राजपैरोकार तहसीलदार कुचामन सिटी

–:निर्णय :–

दिनांक :– 04/12/2024

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि मौज ग्राम लखजी का बास, पटवारी हल्का हिराणी में कृषि भूमि खसरा संख्या 102/25 रकबा 0.1000 हैक्टयर किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर 103/25 रकबा 0.1500 हैक्टयर किस्म जाव 3, खसरा संख्या 104/25 रकबा 2.0100 हैक्टयर किस्म चाही 3, खसरा संख्या 107/73 रकबा 0.0900 हैक्टयर किस्म बारानी 3, खसरा संख्या 105/25 रकबा 2.1400 हैक्टयर किस्म चाही 3, खसरा संख्या 108/73 रकबा 0.1600 हैक्टयर किस्म बारानी 3, खसरा संख्या 25 रकबा 0.0500 हैक्टयर किस्म गै0मु0 कुंआ भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी व हक हिस्से की आई हुई है। प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि ग्राम लखजी का बास पटवारी हल्का हिराणी के खसरा नम्बर 107/73 व 108/73 के उत्तरी दिशा की तरफ खसरा संख्या 26 कदीमी रास्ता आया हुआ है जो राजस्व रेकर्ड व नक्शे में तरमीम किया हुआ है उक्त रास्ता काफी वर्षों से मौके पर बंद है जिसकी ऐवज में उक्त रास्ते की भूमि खसरा संख्या 26 के दक्षिणी तरफ 7–8 मीटर की दूरी पर ही मौके पर वर्तमान में खसरा संख्या 107/73 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:04:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

खसरा संख्या 108/73 के बीच में से रास्ता आवागमन हेतु चालु है। खसरा संख्या 107/73 व 108/73 के बीच में से जो रास्ता कटाणी रास्ते के बगल में मौके पर चालु है। इस रास्ते पर डामर की सड़क बनी हुई है जो आमजन के आवागमन के लिए मौके पर चालु है। सेटलमेंट के समय हल्का पटवारी व विभाग की लिपिकीय त्रुटिवश नक्शे की तरमीम के समय रास्ते की भूमि खसरा संख्या 26 को गलत अंकन किया गया है जबकि खसरा संख्या 26 रास्ते की भूमि के बिल्कुल चिपते ही दक्षिणी दिशा की तरफ खसरा संख्या 107/73 व 108/73 के बीच में से वर्तमान में सड़क व रास्ता मौके पर आवागमन हेतु चालु है जो सही है। प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 107/73 व 108/73 के बीच में से जो आवागमन हेतु सड़क वर्तमान में चालु है उसे प्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड व नक्शे तरमीम करवाने चाहते है व प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 26 को रिकार्ड व नक्शे से हटवाना चाहते हे उक्त खसरा संख्या 26 की रास्ते की भूमि वर्तमान में बंद है जो पिछले कई वर्षों से बंद है। मौके पर वर्तमान में आमजन के आवागमन के लिए जा सड़क बनी हुई है वह सड़क खसरा संख्या 26 रास्ते की भूमि से दक्षिणी तरफ 7–8 मीटर की दूरी पर ही खसरा संख्या 107/73 व 108/73 के बीच में से सड़क निकल रही है जो सही है जो सही है राजस्व रेकर्ड व नक्शे में खसरा संख्या 26 रास्ते की भूमि को प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 107/73 व 108/73 के बीच में से किया जाना निहायत जरूरी है यदि उक्त रास्ते की भूमि को रिकार्ड व नक्शे से सुधार नहीं किया जाता है तो प्रार्थीगण के खेत में से जगह–जगह रास्ते निकल जायेंगे जिससे प्रार्थीगण को भारी नुकसान उठाना पड़ेंगा जिससे प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी की भूमि में राज्य सरकार की विभिन्न कृषि योजनाओं से मिलने वाले लोभों व अनुदानों को प्राप्त करने में परेशानी का सामना पड़ता है। प्रार्थीगण राजस्व अभिलेख व नक्शे में हुई लिपिकीय त्रुटि को सुधार करवाना चाहता है।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जा[illegible] अ[illegible] को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 02 पटवारी हल्का [illegible] अनुपस्थित रहे। जिनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसील[illegible] कुचामन सिटी द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट अनुसार ग्राम लखजी का बास के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:04:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

खसरा नम्बर 107/73, 108/73 की उतरी सीमा पर खसरा नम्बर 26 किस्म गै0मु0 रास्ता राजकीय खाता में दर्ज है तथा प्रतिबंधित श्रेणी का है। राजहित होने के कारण रास्ते के खसरे को यथावत रखा जाना उचित है।

वकील प्रार्थी व राजपैरोकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व राजपैरोकार ने तहसीलदार रिपोर्ट को दोहराया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। मौजा ग्राम लखजी का बास पटवार हल्का हिराणी में कृषि भूमि खसरा संख्या 30, 107/73 व 108 के मध्य से निकलने वाले विचलित रास्ते को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करना व खसरा संख्या 26 में दर्ज कटाणी रास्ते को राजस्व रेकर्ड से हटाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04/12/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार I,RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:04:25 IST
Reason: SelfAttested